झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018

चूँकि, झारखण्ड राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है, और चूँकि झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 का प्रख्यापन किया जाना आवश्यक हो गया है |

इसलिए, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत झारखण्ड राज्यपाल निम्नवत अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी,

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है, राज्य अध्यादेश के तहत निगमित निकाय एवं इसमें समाहित है:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी,

(ii) भारत के किसी खंड में पूर्व में प्रचलित कंपनी से संबंधित किसी विधि के तहत स्थापित एवं पंजीकृत कंपनी,

(ग) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का उपायुक्त या कोई डिपुटी कलेक्टर, जिसे इस अध्यादेश के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त है,

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

3. (1) राज्य सरकार को, जब कभी यह प्रतीत हो कि जल, गैस, ड्रेनेज का वहन का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पारेषण करने तथा उससे संबंधित संकर्मो के लिए, जनहित में यह आवश्यक है तो राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाय और यह कि पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी भूमि में, जिसमें कि ऐसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती हों, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण होगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना के सारांश को उस स्थान पर एवं उस रीति से प्रकाशित करवाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

4. (1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, बिछाए जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

(2) प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता को या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आपत्ति को या तो मंजूर कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

5. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जाती है या जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों को नामंजूर कर दिया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में, सभी विल्लंगमों से रहित उपयोग के अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाऐंगे।

(3) जहां कि किसी भी भूमि के संबंध में धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, परन्तु इस धारा के अधीन कोई उद्घोषणा अधिसचना के एक वर्ष के भीतर नहीं प्रकाशित हुई है, तब वह अधिसूचना इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् अप्रभावी मानी जायेगी।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे नियमों तथा शर्त्तों पर, जैसे कि वह उचित समझें, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए समस्त विल्लंगमों से रहित भूमि में उपयोग के अधिकार, घोशणा के प्रकाशन की अवधि अथवा आदेश में अंतर्विश्ट अन्य अवधि से राज्य सरकार में निहित होने के बजाय, इस प्रकार अधिरोपित नियमों तथा शर्त्तों के अध्यधीन रहते हुए, पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाले, सभी ऋणभार से मुक्त होकर निगम में निहित हो जाएंगे।

6.(1) (i) जहां कि धारा 5 के अधीन किसी भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम में निहित हो गया हो तो राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इसके सेवकों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह –

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर प्रवेश करे तथा सर्वेक्षण करे और उसका तल–मापन करे;

(ख) अवमृदा में खुदाई या बोर करें;

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करें;

(घ) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को चिन्ह् लगाकर एवम् खाईयां काटकर चिन्हांकित करे;

(ड.) जहां कि किसी अन्य प्रकार से सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता हो तथा तल–मापन किया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं चिन्हित की जा चुकी हों, खड़ी फसल के किसी भाग को या किसी अन्य फसल को या बाड़ को काटे और रास्ता तैयार करें, और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कृत्य करे कि क्या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाई जा सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो कम से कम नुकसान या क्षति पहुंचाएगा।

परन्तु यह और कि कोई पाईप लाइन, नहीं बिछाई जायेगी यदि:

(क) ऐसी कोई भूमि जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवहृत होती हो, या

(ख) ऐसी भूमि जिसपर कोई स्थायी संरचना अधिसूचना की तारीख से पहले से हो,

(ग) कोई भूमि जो आवासीय भवन से संबद्ध हो, या

(घ) कोई भूमि जहाँ सतह से एक मीटर से कम की गहराई हो एवम्

(ii) ऐसी भूमि का उपयोग केवल भूमिगत पाईप लाईन बिछाने तथा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्त्तन या उन्हें हटाने के लिए या किसी अन्य कृत्य के साथ–साथ उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए या ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के लिए किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (i) के द्वितीय परन्तुक के उपखंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

7. किसी भूमिगत पाइप लाइने बिछाने, उनका संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के लिए अथवा उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए माप करने या कोई निरीक्षण करने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि के अधिभोगी का युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, उतने कामगारों और सहयोगियों के साथ जितने कि आवश्यक हों, उसमें प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु जहां वह व्यक्ति संतुश्ट है कि कोई आपात स्थिति विद्यमान है, वहां ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी.

पंरतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कामगार या सहायक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो अल्प नुकसान या क्षति पहुँचायेगा।

8. (1) किसी ऐसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, भूमि का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा जिनके कि लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसचूना की तारीख के ठीक पूर्व उसका उपयोग किया जाता था :

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर, –

(i) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा ;

(ii) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन नहीं करेगा; या

(iii) किसी वृक्ष का रोपण नहीं करेगा।

(2) भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने की अनुमति देगा जो भूमिगत पाईप लाईन को किसी भी रीति में कोई नुकसान कारित करता हो या कारित कर सकता हो।

(3) जहाँ की भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके संदर्भ में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, उस भूमि पर –

(क) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण करता है, या

(ख) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन करता है, या

(ग) किसी वृक्ष का रोपण करता है,

कलेक्टर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आवेदित किए जाने पर एवं इसकी जाँच कराए जाने पर यदि ठीक समझता हो तो ऐसे भवनों, संरचनाओं, जलाशयों, बाँधों अथवा पेड़ो को हटा सकेगा या तालाबो को भर सकेगा तथा हटाये जाने अथवा भरे जाने की लागत राशि स्वामी या अधिभोगी से वसूल कर सकेगा।

9. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 की शक्तियों का प्रयोग करने में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति हुई है, वहां राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायी होंगे जिसकी रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार दर के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(2) यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी पार्टी को मान्य नहीं हो तो वे भूमि या उसके अंश से संबंधित कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का विनिश्चय कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे प्रतिकर का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अवधारण करते समय सक्षम पदाधिकारी या कलेक्टर निम्नलिखित कारणों से होने वाले नुकसान या हानि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा–

(i) धारा 6 या जैसा कि मामला हो धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाना, यदि कोई हों;

(ii) उस भूमि का, जिसके नीचे भूमिगत पाइप लाइन बिछाई गई है, ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से अस्थाई पृथक्करण; या

(iii) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य सम्पत्ति को चाहे वह चल हो या अचल या उपार्जन को किसी अन्य रीति में कारित कोई क्षति.

परन्तु कि धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना की तिथि के पश्चात् उक्त भूमि पर निर्मित कोई संरचना या विकासन को क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(4) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई है, भूस्वामी का किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हुई है, को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन

की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर देने के दायी होंगे।

(5) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोशणा के प्रकाशन की तारीख पर, उस भूमि का बाजार दर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आकलित होगा एवं उस प्राधिकार द्वारा निर्धारित यह दर यदि किसी को मान्य नहीं हो तो वे उपधारा (2) के संदर्भ में कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं यह दर कलेक्टर द्वारा विनिश्चय कर दिया जाएगा।

(6) उपधारा (2) या (5) के अधीन कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

10. (1) धारा 9 के अधीन अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में निर्धारित तिथि के भीतर और ऐसी रीति में जमा की जाएगी जैसी कि विहित की जाए।

(2) यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के निर्धारित तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम उस पर उस तारीख से जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा कराए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 9 प्रतिशत की दर से तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायी होंगे.

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर देगा.

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन जमा किए गए प्रतिकर में कई व्यक्तियों की दावेदारी होती हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों का निर्धारण किया जायेगा जो उसकी नजर में प्रतिकर पाने के हकदार होंगे।

(5) यदि प्रतिकर के प्रभाजन या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम पदाधिकारी विवाद को उसकी अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा और उस पर कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी को इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर होने को विवश करना ताकि शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) भापथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ.) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

12. (1) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयिक के लिए किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी क्षति, हानि या नुकसान के लिए राज्य सरकार, निगम या सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी।

13. इस अध्यादेश के अधीन किसी मामले में कलेक्टर अथवा सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध मामला में किसी भी व्यवहार न्यायलय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा तथा किसी न्यायालय अथवा कोई प्राधिकार इस अध्यादेश के आधार पर कृत कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई में कोई निषेधाज्ञा न कर सकेगा।

14. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्राधिकृत किन्हीं कार्यों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छापूर्वक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा 6 के अधीन निर्मित किसी खाई या चिन्ह को स्वेच्छापूर्वक भरता है, नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या स्थान से हटाता है या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निषिद्ध प्रावधानों के विरूद्ध कोई कार्य करता है, वह साधारण कारावास जो छह महीने की अवधि तक हो सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा।

(2) जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक धारा 6 के अधीन बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन को हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, वह कम से कम एक वर्ष के कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है एवं जुर्माना दोनों से दंडित होगा।

15. दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 14 की उपधारा (2) के तहत आने वाले अपराध उस संहिता के अर्थों के अधीन संज्ञेय माने जायेंगे।

16. (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से एवं बिना किसी भेद–भाव के ये नियम निम्नवत् सभी मामलों अथवा किसी भी मामले में व्यवस्था देंगे –

(क) धारा–3 की उपधारा (3) के तहत् अधिसूचना का सारांश, प्रकाशित किये जाने का स्थान एवं रीति।

(ख) धारा–10 की उपधारा (1) के अधीन जमा क्षतिपूरक राशि की समयावधि,

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम कम से कम एक माह की अवधि के लिए विधान सभा के पटल पर रखे जाऐंगे एवं ऐसे उपांतरणों या संशोधनों के अध्यधीन होंगे

जो विधान सभा द्वारा चालू सत्र में किए जाएं या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किऐ जाऐं,

(4) विधान सभा द्वारा किए गए ऐसे उपांतरण अथवा संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होंगे, तत्पश्चात् वे प्रभावी होंगे।

17. इस अध्यादेश के प्रावधान भूमि अर्जन के मामले में, प्रवृत्त अन्य कानूनों के अनुवृद्धि में होंगे, अल्पीकरण में नहीं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया ।

राँची :-

दिनांक:- 13-04-2018

(ह०)
द्रौपदी मुर्मू
झारखण्ड राज्यपाल

*****

सत्यप्रति

(ह०)
(संजय प्रसाद)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची ।

झा०रा०मु०राँची (विधि) 18--200--15-7-2018 ।